मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित योजनाएं

वर्ष 2023-24

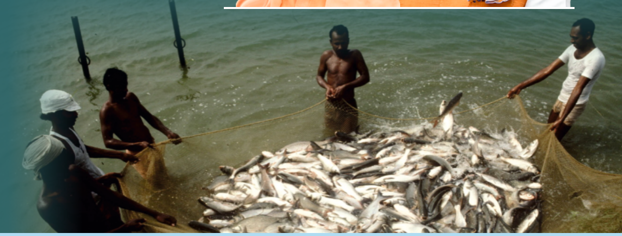

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

मत्स्य उत्पादन/उत्पादकता व किसानों की आय में वृद्धि तथा स्व–रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से योजना संचालित की जा रही है, जिसके अंतर्गत आधार–भूत संरचनाएं, अंतर्देशीय मत्स्य पालन, मछुआरों का कल्याण एवं नई तकनीकी आधारित परियोजनाएं सम्मिलित हैं। वित्तीय सहायता के रूप में महिला व अनुसूचित जाति/जनजाति को 60% तथा अन्य वर्ग को 40% अनुदान अनुमन्य।

योजना

▪ निजी भूमि पर तालाब निर्माण एवं प्रथम वर्ष निवेश	▪ मध्याकार मत्स्य आहार मिल 8 टन प्रति दिन क्षमता
▪ निजी भूमि पर तालाब निर्माण (खारा जल) एवं प्रथम वर्ष निवेश	▪ वृहद मत्स्य आहार मिल 20 टन प्रति दिन क्षमता
▪ मत्स्य बीज हैचरी निर्माण	▪ मत्स्य आहार प्लांट
▪ बायोफलॉक पॉण्ड निर्माण संवंधन प्रथम वर्ष निवेश सहित	▪ पेन संवर्धन
▪ रियरिंग तालाब निर्माण	▪ मोबाइल लैब/क्लीनिक की स्थापना
▪ वृहद री–सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम/बायोफलॉक 50 टैंक 4 मी0 ब्यास	▪ इंटीग्रेटेड ऑर्नामेंटल फिश यूनिट (ब्रीडिंग एंड रियरिंग) मीठा जल
▪ मध्याकार री–सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम/बायोफलॉक 25 टैंक 4 मी0 ब्यास	▪ बैकयार्ड सजावटी मछली रियरिंग यूनिट
▪ लघु रि–सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम	▪ मध्याकार सजावटी मछली रियरिंग यूनिट
▪ बैकयार्ड रि–सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम	▪ एक्सटेंशन एंड सपोर्ट सर्विस/मत्स्य सेवा केंन्द्र
▪ इंसुलेटेड व्हीकल्स	▪ ऑर्नामेंटल फिश ब्रूड बैंक
▪ मोटर साइकिल विद आइसबॉक्स	▪ शीत गृह/आइस प्लांट निर्माण (50 टन क्षमता)
▪ थ्री व्हीलर विद आइसबॉक्स	▪ कियोस्क निर्माण / सजावटी मछली कियोस्क
▪ साइकिल विद आइसबॉक्स	▪ केज संवर्धन
▪ जिंदा मछली विक्रय केन्द्र	▪ मनोरंजन मात्स्यिकी को प्रोत्साहन
▪ लघु मत्स्य आहार मिल 2 टन प्रति दिन क्षमता	▪ सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना

सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना

नि:शुल्क वार्षिक बीमा सुविधा। मत्स्य गतिविधियों में सक्रिय 18 से 70 वर्ष के महिला/पुरुष मत्स्य पालक को दुर्घटनाजनित मृत्यु अथवा पूर्ण स्थायी नि:शक्तता की दशा में ₹ 5.0 लाख, स्थायी आंशिक नि:शक्तता की दशा में ₹ 2.5 लाख एवं आकस्मिक अस्पताल खर्च हेतु ₹ 25,000 तक आर्थिक सहायता अनुमन्य। दुर्घटना की सूचना 90 दिनों में देना अनिवार्य।

मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, किसानों की आय में वृद्धि एवं स्व–रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्राम सभा एवं अन्य पट्टे के तालाबों में निवेश एवं मत्स्य बीज बैंक की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा दो परियोजनाएं संचालित है। योजना में सभी वर्ग को 40% अनुदान अनुमन्य।

योजना

- सुधारे गए ग्राम सभा व अन्य पट्टे के तालाबों में प्रथम वर्ष निवेश
- सुधारे गए ग्राम सभा व अन्य पट्टे के तालाबों में मत्स्य बीज बैंक की स्थापना

निषादराज बोट सब्सिडी योजना

प्रदेश में मत्स्य पालको एवं मछुआरा समुदाय के व्यक्तियों को मत्स्याखेट एवं नदियों/जलाशयों में मत्स्य प्रबंधन व संरक्षण के माध्यम से रोजगार एवं आजीविका के लिए जलाशयों, तालाबों, नदियों एवं अन्य जल स्रोतों में मछली पकड़ने हेतु बिना इंजन की नाव (नॉन मोटोराइज्ड), जाल, लाइफ जैकेट एवं आइसबाक्स आदि पर 40% अनुदान उपलब्ध कराये जाने हेतु ''निषादराज बोट सब्सिडी योजना'' के रूप में एक नवीन योजना राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी है।

मत्स्य पालक कल्याण कोष

प्रदेश के मत्स्य पालकों/मछुआरा समुदाय (परम्परागत मत्स्य आखेटक केवट, मल्लाह, निषाद, बिन्द, धीमर, कश्यप, बाथम, रैकवार, मांझी, गोडिया, कहार, तुरैहा अथवा तुराहा समुदाय से सम्बन्धित ऐसा व्यक्ति अथवा कोई अन्य व्यक्ति जो एक वर्ष या उससे अधिक अवधि से मत्स्य पालन या मात्स्यिकी क्रिया–कलापों से सक्रिय रूप से जुड़ा हो तथा उससे अपना जीविकोपार्जन करता हो) के कल्याणार्थ मत्स्य पालक कल्याण कोष योजना प्रारम्भ की गयी है।

योजना

- मत्स्य पालक/मछुआरा बाहुल्य ग्रामों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं का निर्माण
- महिला सशक्तिकरण–केज़ संवर्धन में 20% अतिरिक्त अनुदान
- चिकित्सा सहायता
- मछुआ आवास निर्माण सहायता
- मत्स्य पालकों/मछुआरों का प्रशिक्षण/भ्रमण
- दैवीय आपदाओं से हुई क्षति में वित्तीय सहायता

किसान क्रेडिट कार्ड

मत्स्य गतिविधियों हेतु बैंक के माध्यम से 4% ब्याज दर पर ₹1.60 लाख तक जमानत रहित क्रेडिट ऋण सुविधा। अधिकतम क्रेडिट ऋण अनुमन्यता ₹ 3.0 लाख तक।

मत्स्य निदेशालय
7, अयोध्या मार्ग, बाबूगंज, लखनऊ, उ0प्र0-226020
हेल्पलाईन नं. 0522-2740270
ई–मेल : dir.fisheries@up.gov.in
वेबसाईट : http://fisheries.up.gov.in

योजनाओं के लिए आवेदन करने हेतु http://fisheries.up.gov.in पर जाएं